*वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन: आर्थिक स्थिरता के लिए समुत्थानशीलता का निर्माण**

श्री स्वामीनाथन जे.

श्री वी अनंथा नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सुश्री शेरीन भान, प्रबंध संपादक, सीएनबीसी टीवी 18, सुश्री लता वेंकटेश, कार्यकारी संपादक सीएनबीसी टीवी 18, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिनटेक उद्योग के अग्रणी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियो और सज्जनों। आप सभी को नमस्कार।

मुझे आज यहां आपके बीच उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, ताकि मैं आपको उभरते बैंकिंग परिदृश्य के बारे में बता सकूं तथा यदि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना है, तो वित्तीय क्षेत्र में समुत्थानशीलता के निर्माण और उसे बनाए रखने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बता सकूं।

आर्थिक संवृद्धि के लिए वित्तीय स्थिरता का महत्व

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां निजी पूंजी स्रोत सीमित हैं, वहां बैंकिंग प्रणाली द्वारा संचालित वित्तपोषण मॉडल ही पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देता है। इसलिए, वित्तीय संस्थानों को भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, उद्योग और नवोन्मेष में महत्वपूर्ण निवेश का समर्थन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति और मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखना चाहिए।

कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थाएँ, दोनों की वित्तीय सेहत दशकों में सबसे मजबूत स्तर पर है। हालांकि, इस वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, सेक्टर को मजबूत कॉर्पोरेट सुदृढ़ता के साथ-साथ वित्तीय और परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने की जरूरत है, अर्थात् उनके आश्वासन कार्य, अनुपालन और निष्पक्षता की संस्कृति विकसित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हर समय विनियामकों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखें।

विनियामक एक परिचालक है।

वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने की दिशा में, रिज़र्व बैंक कई निर्णायक कदम उठा रहा है। आज, मैं आप सभी को रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए ऐसे ही कुछ कदमों के बारे में बताना चाहूँगा।

विनियमनों के प्रति परामर्शात्मक दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर, और विशेष रूप से भारत में, विनियामक दृष्टिकोण अधिक परामर्शात्मक हो गए हैं, जिसमें संतुलित और प्रभावी विनियमन विकसित करने के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। 2021 में विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0[1] की स्थापना विनियामकीय निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन बोझ को कम करने और अप्रचलित आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे अधिक कुशल विनियामक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सलाहकार समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद, मैं व्यक्तिगत रूप से उद्योग की चिंताओं के प्रति विनियामक की प्रतिक्रियाशीलता और संवेदनशीलता की पुष्टि कर सकता हूं।

आरआरए 2.0 की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के भीतर कई अंतर-विभागीय समूहों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पहले से ही कई सुसंगत, समेकित और अद्यतन मास्टर निदेश जारी किए गए हैं और साथ ही 1,000 से अधिक परिपत्रों को वापस लिया गया है, साथ ही कई विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियों को समाप्त किया गया है जो अनावश्यक हो गए थे। इन उपायों ने विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को काफी कम कर दिया है।

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का मुख्य भाषण - 30 अगस्त 2024 - मुंबई में सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा आयोजित 'बैंकिंग परिवर्तन शिखर सम्मेलन - सीजन 2' में।

[1] इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करना था। आरआरए 2.0 की स्थापना 1 मई 2021 में की गई और इसने जून 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बेहतर अभिशासन सुनिश्चित करने की दिशा में

इतिहास में भारत और विदेश दोनों जगह ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि कैसे सफल दिखने वाले कारोबारी उद्यम खराब अभिशासन और अत्यधिक लालच के कारण जल्दी ही बंद हो गए। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में लिया है। हम विनियमित संस्थाओं के बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के साथ-साथ स्व-नियामक संगठनों के साथ अधिक लगातार और सीधे संपर्क में हैं। इन संवादों के माध्यम से, हम अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा करते हैं, और उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का भी प्रयास करते हैं ताकि उचित नियामक उपाय किए जा सकें।

अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना

वित्तीय संस्थाओं की दीर्घायु को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि संस्था में अनुपालन की संस्कृति बनी रहे। आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के साथ-साथ सीएफओ और लेखा परीक्षकों के साथ हाल ही में किया गया सीधा जुड़ाव हमारे वित्तीय संस्थानों के भीतर आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों का प्रमाण है। आश्वासन कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता और पेशेवर आचरण, बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन द्वारा दृढ़ता से समर्थित, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन पहलों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और मैं अपने वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को उनके संगठनों में इन पहलों को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

उद्योग चक्रीय है, यह विवेकपूर्ण और निर्णायक कार्रवाई के लिए सबसे अच्छा समय है।

वित्तीय उद्योग, किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह, चक्रों का अनुभव करता है, और यह वर्तमान में उफान पर है। इसलिए, यह हमारे संस्थानों को मजबूत करने, उनके वित्तीय और परिचालनगत सुदृढ़ता को बढ़ाने और हमारी वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का सही समय है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी क्यों, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अभी निर्णायक कार्रवाई करना, भले ही इसका मतलब कुछ कड़वी गोलियां निगलना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे वित्तीय संस्थान 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत रहें।

विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का न केवल सरलीकरण, सामंजस्य और आधुनिकीकरण करना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अपेक्षित ऋण हानि, परियोजना वित्त और तरलता कवरेज अनुपात पर हाल के मसौदे इस दृष्टिकोण का उदाहरण हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय मजबूती और स्थिरता को बढ़ाने की कोशिश करते हुए उद्योग की जरूरतों को प्रतिबिंबित करना है।

नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए विनियामक पहल

आरबीआई ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को समर्थन देने तथा मजबूत संस्थागत ढांचे की स्थापना के लिए कई पहल की हैं, जिसके पूरक के रूप में वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं।

2019 में, आरबीआई ने विनियामक निगरानी के तहत वास्तविक ग्राहकों के साथ नए वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या व्यावसायिक मॉडलों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए 'विनियामक सैंडबॉक्स' ढांचा पेश किया। यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों और जोखिमों का आकलन करने के लिए विनियामकों, नवोन्मेषों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। अपनी स्थापना के बाद से, सैंडबॉक्स के पांच समूहों ने विभिन्न विचारों का मूल्यांकन किया है, जिनमें से कुछ व्यवहार्य साबित हुए हैं। ऐसी स्थितियों को ठीक करने के लिए जहां कोई उत्पाद या सेवा कई वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अंतर्गत आ सकती है, 2022 में एक अंतर-संचालन योग्य विनियामक सैंडबॉक्स तंत्र पेश किया गया था।

इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, आरबीआई ने 'Harbinger' पहल के तहत वैश्विक हैकथॉन का भी आयोजन किया है, जो न केवल विजेताओं को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करता है, बल्कि शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को उनके समाधानों के प्रोटोटाइप का समर्थन करने के लिए वजीफा भी प्रदान करता है। तीसरा संस्करण, 'Harbinger' 2024, जिसका विषय 'परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' है, 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' को प्राप्त करने और 'दिव्यांग अनुकूल' तकनीक बनाने के उद्देश्य से समाधान आमंत्रित करता है।

2021 में, आरबीआई ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कृषि ऋणों की पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित डिलीवरी जैसे डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। पिछले साल, इसने पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म पर पायलट लॉन्च किया, जिसे अब यूएलआई नाम दिया गया है, जिसे ऋणदाताओं को डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करके घर्षण रहित ऋण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म में एक ओपन आर्किटेक्चर और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) है, जो वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों को 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में कनेक्ट करने की अनुमति देता है।

क्या विनियामक बाधाकारक है?

कुछ ऐसे पहलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, जो यह दर्शाते हैं कि रिज़र्व बैंक एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है, अब मैं बाजार में होने वाले विनियामक व्यवधानों की कुछ टिप्पणियों पर चर्चा करना चाहूंगा, सौभाग्य से केवल कुछ ही लोगों द्वारा, लेकिन हमारे लिए इनकी जांच करना अभी भी आवश्यक है।

ऐसी ही एक कहानी यह है कि विनियामक की कार्रवाइयां नवोन्मेष को रोक सकती हैं या व्यावसायिक संचालन में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकती हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि विनियामकों को जोखिम लेने के मामले में अधिक सहायक होना चाहिए। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जहाँ व्यवसाय जोखिम उठाने के लिए साहसी हो सकते हैं और लाभ और निवेशक प्रतिलाभ की तलाश में अधिक जोखिम उठाने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, वहीं विनियामकों की जिम्मेदारी जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। विनियामक की भूमिका सुरक्षा या संतुलित ढाँचा स्थापित करना है जो नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता है जबकि यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाए।

उदाहरण के लिए, फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म अक्सर ग्राहकों को एक सहज, कुशल अनुभव प्रदान करते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर, ये प्लेटफ़ॉर्म व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच सकते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी पहले वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच थी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वंचित समुदायों को सशक्त बनाया जा सकेगा। वे ग्राहक अधिग्रहण की लागत के साथ-साथ लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करते हैं। डिजिटलीकरण बैंकों और एनबीएफसी को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी के लिए डेटा का लाभ उठाने की अनुमति देता है जिसका उपयोग बेहतर जोखिम प्रबंधन और अनुपालन की सुविधा के अलावा ग्राहक-लक्षित (बेस्पोक) उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ऐसी सभी पहलों के माध्यम से उत्साहजनक भूमिका निभा रहा है।

हालांकि, यह डिजिटल बदलाव ऐसे जोखिम भी लाता है जिन्हें स्थिर और सुरक्षित वित्तीय परितंत्र बनाए रखने के लिए उचित रूप से पहचाना, कम किया और प्रबंधित किया जाना चाहिए। डिजिटल उत्पाद प्रदान करने वाली अलग-अलग संस्थाओं के एकीकरण से अक्सर अतिव्यापी जिम्मेदारियों के साथ जटिल संरचनाएं बनती हैं। कई मामलों में, पारदर्शिता के लिए विनियामक आवश्यकताओं के बावजूद, वास्तविक ऋणदाता उधारकर्ता को दिखाई भी नहीं दे सकता है। जबकि फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म नवोन्मेष और राजस्व को बढ़ावा देते हैं, ऋण और परिचालन जोखिम और परिणामी नुकसान अभी भी मुख्य रूप से विनियमित ऋणदाताओं के पास हैं जो इन प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग करते हैं। यह सेवा प्रदाताओं और जोखिम उठाने वालों के बीच एक अलगाव पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्तिगत ऋणदाता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के लिए संभावित कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, जबकि ऋण स्वीकृति और संवितरण तेजी से डिजिटल हो गए हैं, प्रभावी संग्रह और समुत्थान अभी भी चल रहा है और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कई फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसे व्यवसाय मॉडल पर काम करते हैं जिसमें अक्सर खराब क्रेडिट प्रोफ़ाइल वाले ग्राहकों को छोटे-मूल्य के ऋण देना शामिल होता है। दुर्भाग्य से, इसके बाद अक्सर आक्रामक वसूली रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कि ग्राहकों के संपर्क और व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करना। ये प्रथाएँ इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े विनियमित ऋणदाताओं की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं। आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के नियमों के अनुसार, भले ही एक विनियमित इकाई कुछ गतिविधियों को करने के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर हो सकती है, लेकिन यह अपने आउटसोर्स एजेंटों के कार्यों के लिए अंततः उत्तरदायी रहती है।

एक और कहानी जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा, वह यह है कि पर्यवेक्षक कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, कभी-कभी उन्हें "ट्रिगर-हैप्पी" के रूप में चित्रित किया जाता है। यह गलत धारणा बनाती है कि विनियामक लगातार वित्तीय संस्थाओं पर लगाम लगाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। कभी-कभी मीडिया द्वारा हमसे पूछा जाता है, "अगला कौन है?" - जिसका अर्थ है कि पर्यवेक्षी कार्रवाई प्रकृति में विनियामक है।

हकीकत में, व्यापार प्रतिबंध लगाने का निर्णय कभी भी आसानी से नहीं लिया जाता है। सख्त पर्यवेक्षी कार्रवाई केवल सावधानीपूर्वक ऑनसाइट जांच, ऑफसाइट डेटा विश्लेषण और सुधार के लिए संबंधित विनियमित संस्थाओं के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद ही की जाती है, जो अक्सर कई महीनों तक चलती है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करना है, न कि व्यावसायिक संचालन में बाधा डालना। 150 से अधिक बैंकों, 9,000 से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और साथ ही लगभग 1,500 यूसीबी और अन्य संस्थाओं में से जिनकी हम निगरानी करते हैं, केवल मुट्ठी भर मामलों में ही सख्त कार्रवाई की गई है। वह भी, प्रत्येक श्रेणी में सबसे अलग-थलग को इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई के लिए बुलाया गया है ताकि इसका बाकी उद्योग पर एक प्रदर्शनकारी प्रभाव हो। ये उपाय दंड देने के बारे में नहीं हैं, बल्कि जमाकर्ताओं, ग्राहकों और व्यापक वित्तीय प्रणाली के हितों की रक्षा के बारे में हैं।

इन प्रयासों के बावजूद, विनियमों की नवीन गलत व्याख्या देखना निराशाजनक है। हाल ही का एक मामला पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऋण विनियमन का है। मूल रूप से परिकल्पित विनियमों में, प्लेटफ़ॉर्म को ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं से जोड़ने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस की तरह काम करने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म द्वारा कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाया गया था और न ही धन का सह-मिलन या प्रतिधारण किया गया था। हालाँकि, पिछले एक साल में पर्यवेक्षी निष्कर्षों से पता चला है कि इनमें से कुछ प्लेटफ़ॉर्म ने ऐसे अभ्यास अपनाए जो विनियमों का उल्लंघन करते थे। इस महीने की शुरुआत में पी2पी ऋण प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किए गए निर्देश कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि कुछ मामलों में देखे गए गंभीर उल्लंघनों की प्रतिक्रिया मात्र हैं। हालाँकि, कुछ तिमाहियों में इसे इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि ये 'नए' नियम इस उद्योग को 'खत्म' कर देंगे। इसके विपरीत, ऐसी संस्थाओं को दिए गए विभेदित लाइसेंसिंग और हल्के स्पर्श वाले विनियमन का उद्देश्य उन्हें एक अनूठा प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने में मदद करना है, न कि बैंकों या एनबीएफसी की नकल करना जो अधिक मज़बूती से पूंजीकृत और सख्त विनियमित हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, कभी-कभार आलोचनाओं के बावजूद, विनियामक ढाँचे परामर्शी दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं, जिससे एक लचीले वित्तीय क्षेत्र को आकार देने में मदद मिली है। पिछले कुछ दशकों में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने एशियाई वित्तीय संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और हाल ही में कोविड-19 महामारी सहित कई चुनौतियों का सामना किया है। हर बार, भारतीय वित्तीय क्षेत्र न केवल उद्योग के प्रयासों और अनुकूलनशीलता के कारण बल्कि विनियामक ढाँचे की विवेकशीलता और दूरदर्शिता के कारण भी मजबूत होकर उभरा है।

हम सभी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की इस यात्रा में भागीदार हैं। हालांकि, सपनों का निर्माण कमजोर नींव पर नहीं किया जा सकता है, यही कारण है कि विनियामक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे परिचालन और सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित करे जो यह सुनिश्चित करे कि हम सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचें और आगे बढ़ते रहें।

मैं उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि वे विनियामकों को विघटनकारी के रूप में देखने के बजाय, विनियामक को एक स्थिर और समृद्ध वित्तीय परितंत्र के भागीदार के रूप में देखें। इसलिए विनियमों के पीछे की मंशा को समझना आवश्यक है, जो ग्राहकों की सुरक्षा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आइए हम अपनी रचनात्मकता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं में लगाएं जो न केवल विनियमों का अनुपालन करते हैं बल्कि वित्तीय प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य और समावेशिता को भी बढ़ाते हैं। आइए हम ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तविक मूल्यवर्धन करते हैं, बजाय विनियमों को दरकिनार करने या उसी तरह से और अधिक करने के तरीके खोजने के। विनियामक उद्देश्यों के साथ नवोन्मेषों को जोड़कर, हम एक मजबूत, अधिक भरोसेमंद वित्तीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो सभी को लाभान्वित करता है।

इसके साथ ही मैं श्रोताओं को उनके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं, तथा सीएनबीसी टीवी 18 को मुझे इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने और आज आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।